यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर, चमोली के माह 01/2015 से 09/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 12.10.2017 से 17.10.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार , लेपरीक्षक द्वारा दिनांक 24.01.2015 से 29.01.2015 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2008 से 12/2014 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः 1. (1) निदेशालय से महाविद्यालय की दूरी- 270 किमी.

(2) मार्ग के अंतर्गत पड़ने वाले मुख्य स्टेशन/स्थान- रानीखेत, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, चमोली

2. महाविद्यालय से सड़क की दूरी- 01 मीटर

(1) महाविद्यालय किस राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) अथवा राज्य मार्ग (State Highway) पर स्थित है।

(2) राजमार्ग (National Highway) अथवा राज्य मार्ग (State Highway) से महाविद्यालय की दूरी- 10 किमी.

3. महाविद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन – नामः ऋषिकेश (दूरीः 218 किमी.)

4. विकास खण्ड का नाम- दशोली, विकास खण्ड से दूरी – 10 किमी.

5. तहसील का नाम- चमोली, तहसील से दूरी – 10 किमी.

6. जिला का नाम- चमोली मुख्यालय से दूरी – 01 किमी.

7.विधान सक्षा क्षेत्र की संख्या एवं नाम – 04 बद्रीनाथ

8. समुद्र तल से ऊँचाई- (1) मीटर में – 1560

(2) फीट में – 4680, (1 मीटर – 3.281 फीट)

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2014-15		-	372.61	368.00	6.22	5.86	-	4.97
2	2015-16	-	-	426.39	405.97	8.13	8.06	--	20.49
3	2016-17	-	-	463.46	401.34	13.43	13.24	--	62.31
4	2017-18 (09/17)	-	-	440.6	217.13	8.78	5.57	--	226.68

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	रूसा	---	---	---	---	---
2015-16	रूसा	---	36.97	36.97	---	---
2016-17	रूसा	---	156.70	156.69	(-)0.01	---
2017-18 अब तक	रूसा	--	--	--	--	--

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	यू॰ जी॰ सी॰	---	---	---	---	---
2015-16	यू॰ जी॰ सी॰	---	--	--	---	---
2016-17	यू॰ जी॰ सी॰	---	8.40	8.34	(-)0.06	---
2017-18 अब तक	यू॰ जी॰ सी॰	--				--

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. स्नातकोत्तर महाविध्यालय, गोपेश्वर, चमोली

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01.2015 से 09.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर, चमोली के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर , चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08.2016 एवं 08.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- प्रतिभूति राशि के रखरखाव में कमी तथा रू. 13.79 लाख आहरित राशि नियम संगत नहीं पाया जाना।

प्रतिभूति राशि महाविद्यालय में प्रथम बार किसी कोर्स में नामांकन के लिए छात्रों से प्राप्त किया जाता है, जिसे कोर्स के उत्तीर्ण छात्र-छात्रा को दो वर्ष के अंतर्गत (जैसा कि महाविद्यालय के प्रवेश निर्देशिका में उल्लेखित है।) आवेदन/अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाती है।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर की प्रतिभूति राशि से संबंधित अभिलेखों की जांच की गयी। जांच में अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता की कमी पायी गयी। अदावेदारी राशि जो महाविद्यालय की बचत राशि थी, का उचित लेखांकन लेखापरीक्षा में तथ्य स्पष्ट करने के उद्देश्य से नहीं था। छात्रों को विगत 05 वर्षों में वापस की गयी। शुल्कों की राशि बहुत कम थी। लेखापरीक्षा तिथि तक मद में पड़ी हुई कुल अवशेष राशि रू. 2523766.00 पायी गयी। महाविद्यालय में बचत राशि के संचालन/ समर्पण पर शासकीय दिशानिर्देशन की कापी अनुपलब्ध था तथा निदेशालय से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रतिभूति राशि से दिनांक 03.05.2016 को चैक सं. 394891 द्वारा धन का हस्तान्तरण अन्य प्रयोजन पर किया जाना पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमतः बचत धनराशि शासन की है, परंतु समर्पण के संबंध में शासन से स्पष्ट दिशानिर्देशन प्राप्त नहीं है। लेखापरीक्षा के अनुकूल भविष्य में अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है, जब शुल्क वापसी के संबंध में इतनी कम संख्या में छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे थे तो महाविद्यालय को वापसी सुनिश्चित करने के लिये पृथक से सूचना प्रसारित की जानी चाहिए थी, परंतु इरादतन निधि का सृजन कर मनमाने ढंग से आहरण का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2-ब

प्रस्तर-2- छात्र निधि खातो मे अर्जित ब्याज कि धनराशि रु 11.32 लाख का अक्रियाशील पड़े रहना।

छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग के संबंध मे उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार " यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है" तथा छात्र कल्याण निधि नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि" The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय, गोपेश्वर, चमोली की लेखा परीक्षा अवधि 01/01/15 से 9/2017 तक के छात्रनिधियों संबन्धित अभिलेखो की जांच की गयी, जांच के उपरान्त पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया गया तथा सभी छात्रनिधियों हेतु पृथक रूप से बैंक खाते खोले गए है। विद्यालय द्वारा सभी प्रकार कि छात्रनिधियों हेतु कुल 24 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो कि जांच के उपरान्त पाया गया विद्यालय द्वारा संचालित बैंक खातो मे साल दर साल ब्याज कि धनराशि अर्जित हो रही है । आगे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि मे विद्यालय को कुल रु 11,31,829/- कि धनराशि ब्याज के रूप मे अर्जित हुई है जिसे कार्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय नही किया गया है और न ही उक्त धनराशि को शासन को समर्पित किए जाने हेतु कोई प्रयास किया गया है अतः उक्त धनराशि कार्यालय द्वारा संचालित कुल 24 बैंक खातो मे अक्रियाशील अवस्था मे पड़ी हुई है साथ ही कार्यालय द्वारा पृथक-पृथक खातो के संचालन किए जाने के कारण उन खातो पर संचालन शुल्क (जैसे sms charges, चेक बुक शुल्क आदि) का अतिरिक्त व्यय होने के कारण छात्र निधियो की बचत की धनराशि भी कम हो रही है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है की अर्जित ब्याज की राशि छात्रों को अदा नही की जाती है, अर्जित ब्याज की बचत राशि शासकीय धनराशि है जिसे उच्चाधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करने के पश्चात उपयोग की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि छात्र निधियो की धनराशि(ब्याज सहित) का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु किया जाना अनिवार्य था जिसे विभागीय उदासिनता के कारण न केवल छात्र निधियो का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो हेतु नही किया जा सका बल्कि रु 11,31,829/- की अर्जित ब्याज की धनराशि विगत कई वर्षो से अक्रियाशील अवस्था मे पड़ी हुई है।

अतः छात्र निधि खातो मे अर्जित ब्याज की धनराशि रु 11,31,829/- का अक्रियाशील होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01- रूसा के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना तथा रू. 349.66 लाख की कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता का अनुपालन नहीं किया जाना।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की लेखापरीक्षा में रूसा के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावली की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि शासनादेश सं. 1653/XXIV(7)/71(2)/2015 दिनांक 05.11.2015 के क्रम में अनुमोदित धनराशि रू. 349.66 लाख के तहत उ.प्र. रा. निर्माण निगम पौड़ी गढ़वाल तथा महाविद्यालय के मध्य MOU की कार्यवाही पूरी की गयी। परियोजना प्रारम्भ करने की तारीख 12/2015 पायी गयी जिसे पूर्ण करने की अवधि 24 माह अर्थात दिसम्बर 2017 थी। अभिलेखों की जांच में इन महत्वपूर्ण बिन्दु का अनुपालन किया जाना था।(1) रूसा के परियोजना निदेशालय द्वारा नामित अंकेक्षक के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा कराया जायेगा। इस संबंध में में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा महाविद्यालय के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। (2) दिनांक 22.04.2016 की कार्यवृत्त के तहत किसी भी दशा में आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अनावश्यक कार्य बंद पाये जाने अथवा धीमी गति से कार्य होने की दशा में जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। परंतु लेखापरीक्षा में महाविद्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी के अद्यतन अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराया जा सका। इस संबंध में इकाई द्वारा अगस्त 2017 के अभिलेख प्रस्तुत पाये गये जिसमें अवमुक्त धनराशि रू. 168.67 लाख के सापेक्ष दो पृथक-पृथक कार्य की भौतिक प्रगति क्रमशः 85% तथा 46% पायी गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में रूसा के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित की जायेगी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया क्योंकि निर्माण एजेंसी पर इकाई का नियंत्रण न होने के कारण अनुमोदित राशि रू. 349.66 लाख की कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी पायी गयी। मात्र एजेंसी अगस्त 2017 तक रू. 144.00 लाख ही प्रयुक्त कर पायी। अतः शेष 04 माह (अनुबंध के तहत) अर्थात दिसम्बर 2017 तक वित्तीय भौतिक प्रगति पूर्ण न होने की संभावना के कारण भविष्य में समय वृद्धि लागत वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण प्रकरण में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- छात्रनिधि कोष से सृजित कम्प्यूटर निधि से नियमावली के तहत रख-रखाव नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति विनियमावली 2017 (संशोधित) के नियम 16 के अनुसार "क्रय की जाने वाली सामग्री की लागत तथा उसकी प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए, यदि आवश्यक हो तो ऐसी सामग्री के रख-रखाव हेतु भी निश्चित अवधि की संविदा, सामग्री के आपूर्तिकर्ता अथवा आपूर्तिकर्ता से भिन्न सक्षम फर्म के साथ की जाय। अनुरक्षण संविदा की आवश्यकता परिष्कृत एवं महंगे उपस्कर और मशीनों में होती है, परन्तु यह ध्यान दिया जाए कि उपकरणों/मशीनों की वारंटी अवधि में अथवा बढाई गयी अवधि में, जैसा कि संविदा की शर्तों में उपबंधित हो, आपूर्तिकर्ता द्वारा निःशुल्क रखा-रखाव किया जाएगा और भुगतान रख-रखाव के उपरांत ही किया जाए।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर के छात्रनिधि खातों की जांच में प्रकाश में आया कि महाविद्यालय में 50 कम्प्यूटर कार्यरत है, जिनके संचालन हेतु लगभग रू. 1,84,805 का व्यय वर्ष 2015 से अगस्त 2017 के मध्य पाया गया।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक ही फर्म 'Shokenda' से बार-बार सेवाएँ ली जा रही हैं तथा बार-बार भुगतान किया जा रहा है।

यदि महाविद्यालय द्वारा इस फर्म से अनुबंध/AMC किया जाता तो इकाई को त्वरित सेवा प्राप्ति के साथ ही साथ शासकीय हित में मितव्ययी होता।

इस ओर इंगित किए जाने पर महाविद्यालय द्वारा भविष्य में अनुपालन किया जाएगा का आश्वसन दिया गया।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि कम्प्यूटर के रख-रखाव पर वर्ष-दर-वर्ष व्यय हो रहा है फिर भी वित्तीय नियमावली के अनुसार AMC की अनदेखी की गयी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
20/2008-09	--	1	--	--
159/2014-15	1		1,2 व 3	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
20/2008-09 159/2014-15	भाग-दो(ब), प्रस्तर-1 भाग-दो(अ), STAN-1,2,3	- -	इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से आख्या प्रेषित करने की बात कही गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर , चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-
अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ0 पी. एस. मखलोगा	प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर , चमोली	विगत लेखापरीक्षा से 03.08.2017 तक
डॉ0 ए के अवस्थी(कार्यवाहक)	प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर , चमोली	04.08.2017 से 07.08.17 तक
प्रो॰ के एल. मालगुडी	प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर , चमोली	08.08.17 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य , राजकीय स्नातकोत्तर महाविध्यालय गोपेश्वर , चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र